

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 जनवरी 2021 — माघ 7, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-14/2017/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, —

अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 18 के कॉलम (3) में, शब्द “लेखापाल” के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह “लेखापाल/सहायक वर्ग-दो (यदि उसने लेखा में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है)” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 25 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 4-14/2017/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 25-01-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 25th January 2021

NOTIFICATION

No. F 4- 14/2017/18.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Rules, 2018 namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In column (3) of serial number 18 of Schedule-IV, for the word “Accountant”, the words and symbols “Accountant/Assistant Grade-II (if he has completed training in Accounts)” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.